कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066

वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या :हि.अ. 8(2)2015-16/वा.का./ 2664 दिनांक: 31 JUL 2017

सेवा में,

सभी अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (अंचल/निदेशक पीडीयूएनएएसएस)
क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्यालय सहित),
सभी प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय

विषय: संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वर्ष 2017-18 (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) के वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का पत्र संख्या जैड-11012/01/2017 रा.भा.नी. दिनांक 12 जुलाई, 2017 सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु एतद्द्वारा संलग्न है।

अनुरोध है कि वार्षिक **कार्यक्रम** 2017-18 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यथापेक्षित प्रयास किए जाएं तथा राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेशों पर भी आवश्यक कार्रवाई करते हुए इस संबंध में मुख्यालय को सूचित किया जाए।

इस संबंध में जोनल कार्यालयों के प्रभारी अपर केन्द्रीय आयुक्तों से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों की वर्ष 2016-17 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट समेकित कर निर्धारित प्रोफार्मा में 20.08.2017 तक मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि इसे समय पर मंत्रालय को अग्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

(के.एल. गोयल)
अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त–I (प्रभारी, राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान ।
2. उप निदेशक (सतर्कता) सभी अंचल।
3. सभी आंचलिक लेखा परीक्षा दल।
4. उप निदेशक (राजभाषा) मुंबई/हैदराबाद/कोलकाता।
5. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ।
6. क्षे.भ.नि.आ.(एन.डी.सी.) को वेब पर अपलोड हेतु प्रेषित।

(एम.पी.एस. राठौरिया)
उप निदेशक (राजभाषा)

SP-8176 -162-

जैड-11012/01/2017 रा.भा.नी.

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(राजभाषा अनुभाग)

श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

दिनांक 12 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वर्ष 2017-2018 (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) के वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन।

D.D(OL)

संसद के दोनों सदनों द्वारा सन् 1968 में पारित राजभाषा नीति संबंधी सरकारी संकल्प के पैरा 1 के अनुसार, हिंदी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उत्तरोतर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से एक गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने का दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया है। संकल्प में यह आज्ञापक प्रावधान भी है कि इस संबंध में किए जाने वाले उपायों एवं हुई प्रगति की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखी जाए। तदनुसार, राजभाषा विभाग हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है, जिसमें देश के विभिन्न भागों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा हिंदी में किए जाने वाले विविध कार्यों के लक्ष्य निर्धारित होते हैं। सरकार द्वारा गठित विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों की बैठकों में भी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है। संसदीय राजभाषा समिति भी समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी की प्रगति का निरीक्षण करती है वह अन्य बातों के साथ साथ वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।

2. राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2017 2018 के लिए तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों और दिए गए राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेशों की एक प्रति अनुपालन/आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है। अनुरोध है कि वार्षिक कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं तथा इस मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग को भेजी जाने वाली हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों में उपर्युक्त दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा दर्शाया जाए। यह संपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट [illegible] पर उपलब्ध है।

3. इसे आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कृपया अधीनस्थ कार्यालयों में अनुपालनार्थ परिचालित करें।

19/7

एम.पी.एस. राठौरिया
उप निदेशक (राजभाषा)
M. P. S. RATHORIA
Deputy Director (O.L.)

श्रीमती नीरजा

(हस्ताक्षर) 12/07

(विजय सिंह मीना)
संयुक्त निदेशक(रा. भा.)
दूरभाष: 23324141

संलग्नक:

1. अनुबंध 'क' वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 में दिए गए राजभाषा नीति संबंधी कुछ प्रमुख निदेश।
2. अनुबंध 'ख' हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2017-18 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्य।

14341
20/7/17

-161-

प्रतिलिपि:-:

1. महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, हीरापुर, धनबाद (झारखंड) - 826001
2. निदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर-24, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301
3. निदेशक, दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीडब्ल्यूई) नार्थ अम्बाझरी रोड, नागपुर -440033
4. महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, एससीओ 28-31, सैक्टर 17-ए, चंडीगढ़-160017
5. महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, केन्द्रीय श्रम संस्थान भवन, एन.एस. मंकीकर मार्ग, सॉयन, मुम्बई-400022
6. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066
7. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग,नई दिल्ली - 110002
8. महानिदेशक, रोजगार महानिदेशालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. मुख्य श्रमायुक्त (के.), मुख्य श्रमायुक्त कार्यालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली

अनुबंध-'क'

वार्षिक कार्यक्रम-2017-2018 में दिए गए राजभाषा नीति संबंधी कुछ प्रमुख निदेश

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं। कागजात जारी करते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिंदी रुपांतर, अंग्रेजी के ऊपर रहे। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

2. भर्ती परीक्षा हो तथा सेवाकालीन विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न पत्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार में भी वार्तालाप में हिंदी माध्यम की उपलब्धता अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए।

3. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/ तकनीकी संगोष्ठी और तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र संबद्ध मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित होने चाहिए।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि की लेखन सामग्री, नामपट्ट, सूचना पट्ट, फार्म, प्रक्रिया संबंधित साहित्य, रबड़ की मोहरें, निमंत्रण पत्र आदि अनिवार्य रूप से हिंदी अंग्रेजी में बनवाएं जाएं। हिंदीतर राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट्ट तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी इसी क्रम में प्रयोग की जानी चाहिए।

5. अंतरराष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणिक अनुवाद तैयार कराके रिकार्ड के लिए फाइल में रखे जाएं।

6. असांविधिक प्रक्रिया साहित्य जैसे नियम, कोड, मेनुअल, मानक फार्म आदि को अनुवाद कराने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को भेजा जाए। मैनुअल/ कोड /फार्म आदि की पांडुलिपियों को द्विभाषी रूप में तैयार कराकर ही मुद्रण के लिए भिजवाया/स्वीकार किया जाए।

7. अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए।

8. मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों उपक्रमों आदि के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी तथा राजभाषा नीति के अनुपालन को गति मिलेगी।

9. हिंदी का प्रयोग को बढावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक अधिकारी /कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो।

10. मंत्रालयों /विभागों /कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक बैठक में सरकारी कामकाज में हिंदी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर नियमित रूप से विस्तृत चर्चा की जाए और इसे कार्यसूची की एक स्थाई मद के रूप में शामिल किया जाए।

11. राजभाषा हिंदी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियों/ कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा व समुचित स्थान भी उपलब्ध कराया जाए ताकि वह अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक तरह से कर सकें।

12. मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय अपने-अपने दायित्व से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने तथा अपने-अपने विषयों से संबंधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

13. हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं की न्यूनतम अवधि 01 कार्य दिवस की होगी। कार्यशाला में न्यूनतम दो-तिहाई समय कार्यशाला से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए। राजभाषा विभाग द्वारा कार्यशाला में प्रयोग हेतु 'कार्यशाला संदर्शिका' वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है।

14. राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपने कर्मचारियों को नामित करें और उन्हें निदेश दें कि वह पूरी तत्परता से प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा परीक्षाओं में बैठें। प्रशिक्षण को बीच में छोड़ने या परीक्षाओं में ना बैठने वाले मामलों को कड़ाई से निपटा जाए।

15. मंत्रालय /विभाग /कार्यालय आदि हिंदी में प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारियों /कर्मचारियों के लाभ के लिए 'लीला हिंदी प्रबोध', 'प्रवीण और प्राज्ञ' आदि सॉफ्टवेयरों के उपयोग के लिए कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध करवाए।

16. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठकों में सदस्य कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख अनिवार्य रूप से भाग लें।

17. मंत्रालयों /विभागों के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों/ उपक्रमों/ बैंकों आदि में राजभाषा का संपर्क गठित होना चाहिए जो कि कुल पदों के अनुरूप हो। उन सबके लिए वही वेतनमान मंजूर किए गए हैं जो कि केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग को प्रदान किए गए हैं।

18. हिंदी कार्यशालाओं में हिंदी लेखन अभ्यास पर बल दिया जाए तथा यूनिकोड इनकोडिंग, ई-मेल, डिक्टेशन का उपयोग करना भी सिखाया जाए।

19. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी मंत्रालयों /विभागों आदि द्वारा प्रयोग में लाई जा रही कंप्यूटर प्रणालियों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा हो और उसका प्रयोग किया जाए। कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग के लिए केवल यूनिकोड इनकोडिंग का प्रयोग किया जाए।

20. हिंदी भाषा का ज्ञान राजभाषा के कार्यान्वयन का आधार है। अतः सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए भी कम से कम एक सत्र होना चाहिए।

21. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग राजभाषा कीर्ति पुरस्कार देता है वर्ष 2016-17 से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत आंशिक संशोधन करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (न. रा.का.स.) को दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। 'क', 'ख ', व 'ग' क्षेत्रों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को दो-दो शील्ड प्रदान की जाएगी एवं पुरस्कार विजेता नराकास के सदस्य-सचिव को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा विस्तृत जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

22. केंद्र सरकार का राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हिंदी पदों का मानक राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित किया गया है। यह मानक मंत्रालय /विभागों और संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों के साथ-साथ स्वायत्त निकायों पर भी लागू होता है इसकी विस्तृत जानकारी के लिए राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

23. राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हर वर्ष 5 दिवसीय 100 हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करें। कार्यक्रम की जानकारी www.rajbhasha.gov.in पर भी उपलब्ध है।

24. राजभाषा विभाग की पत्रिका राजभाषा भारती में प्रकाशित नियमित लेखों के लिए मानदेय की राशि बढ़ाकर 3000/- रु कर दी गई है। इसी तरह विशेषांक में प्रकाशित लेखों के लिए मानदेय की राशि बढ़ाकर 5000/- रु की गई है।

25. सभी मंत्रालय/ विभाग हर तिमाही में हिंदी संगोष्ठी का आयोजन करें।

26. गृह पत्रिकाओं में संगठन क कार्य-क्षेत्र संबंधी लेख अधिक से अधिक शामिल किएं जाएं ताकि अधिकारी-कर्मचारी उससे संबंधित शब्दावली से लाभान्वित हो सकें।

27. 14 सितंबर, 2016 से हिंदी में श्रुतलेख देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करके से 5000/- रुपए कर दिया गया है।

28. कोई भी गैर-सरकारी संस्था राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण निःशुल्क देते हैं एवं कार्यशाला का आयोजन करते हैं। अतः गैर सरकारी सदस्यों द्वारा आयोजित किए जा रहे राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना वांछनीय नहीं है।

29. आधुनिक ज्ञान/विज्ञान की विभिन्न विधाओं एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक रुप से राजभाषा हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग राजभाषा गौरव पुरस्कार देता है। इस योजना की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

30. यह देखा गया है कि वेबसाइट पर या तो सूचना हिंदी में नहीं दी जाती या पूर्णतया हिंदी में उपलब्ध नहीं है। अपनी वेबसाइट संपूर्ण हिंदी में विकसित करवाएं।

अनुबंध -'ख'

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2017-18 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 100%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 85%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद ।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)

13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%		